

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- यशपाल आहुजा आर.ए.ए.ए.

अनवान:- प्रार्थना पत्र संख्या 505/2017

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर (राज.)

.....वादी

बनाम

1. बलराजसिंह पुत्र हरविन्द्रसिंह जाति जटसिख सा. 8 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. चरणजीत कौर पत्नी रामसिंह जाति जटसिख सा. 8 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. दर्शनसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख सा. 8 क्यू तहसील व जिला श्री गंगानगर
4. गुरदाससिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख सा. 8 क्यू तहसील व जिला श्री गंगानगर
5. मुख्त्यारसिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख सा.8 क्यू तहसील व जिला श्री गंगानगर

.....प्रतिवादी

-:उपस्थित:-

1. पैरोकार राज

.....प्रार्थी

2. श्री ऋषिपाल शर्मा अभिभाषक

.....अप्रार्थी

-:निर्णय:-

10 जुलाई 2018

पत्रावली पेश हुई तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व आधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कि गयी है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप मे निम्न प्रकार से है कि :-

रेस्पोडेन्ट्स के चक 8 क्यू पटवार क्षेत्र संगतपुरा तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स.66 के मु.न.10 में 1.859 है, मु.न.27में 1.265 है, मु.न.30में 0.969 है, मु.न.45में 0.759 है, मु.न.47 में 0.822 है, मु.न.48 में 0.835 है.कुल 7.774 है नहरी/बारानी भूमि - बलराजसिंह पि. हरविन्द्रसिंह 3.679 है.चरणजीत कौर पत्नी रामसिंह, दर्शनसिंह, गुरदाससिंह पुत्र रामसिंह ब.हि.ब.3.679 है. मुख्त्यार कौर पत्नी जोरासिंह 0.304 है.कौम जटसिख खातेदार दर्ज है।

रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा आपसी सहमती बंटवारा, तहसीलदार साहब के आदेश क्रमाक-2484 दिनाक 30.06.06 द्वारा बंटवारा करते समय खातेदारो को कुल 7.774 है भूमि प्राप्त हुई उक्त आदेशो की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा नामा.स. 216 दिनाक 06.07.06 दर्ज किया गया। परन्तु कास्तकारो के हिस्से का योग नहीं किया गया। जोकि 7.662 है. था। जो कुल हिस्सो से .112 है. कम था। वह आज दिनाक चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस बाद तामिल पत्रावली में शामिल किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अभिभाषक श्री ऋषिपाल उपस्थित आया। प्रतिवादी स. 5 को "राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018" केम्प संगतपुरा में उपस्थित आने हेतु पटवारी हल्का द्वारा पाबन्द किया गया। प्रतिवादी स. 5 राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नहीं आए।

आवेदन पत्र पर युक्तियुक्त विचारणोंपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेजात का आवलोकन किया जाकर प्रास्तुत बहस का मनन किया। पटवारी हल्का संगतपुरा की रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जा कर चक 8 क्यू पटवार मण्डल संगतपुरा तहसील श्री गंगानगर के खाता स.66 के मु.न.10 में 1.859 है, मु.न.27में 1.265 है, मु.न.30में 0.969 है, मु.न.45 में 0.759 है, मु.न.47 में 0.822 है, मु.न.48 में 0.835 है.कुल 7.774 है नहरी/बारानी भूमि - बलराजसिंह पि. हरविन्द्रसिंह 3.733 है. चरणजीतकौर पत्नी रामसिंह दर्शनसिंह गुरदाससिंह पुत्र रामसिंह ब.हि.ब. 3.733 है. मुख्त्यार कौर पत्नी जोरासिंह 0.308 है. कौम जटसिख राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

-:आदेश:-

फुलस्वरुप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है कि जाकर कर चक 8 क्यू पटवार मण्डल संगतपुरा तहसील श्री गंगानगर के खाता स.66 के मु.न.10 में 1.859 है, मु.न.27 में 1.265 है, मु.न. 30में 0.969 है, मु.न.45 में 0.759 है, मु.न. 47 में 0.822 है, मु.न.48 में 0.835 है.कुल 7.774 है नहरी/बारानी भूमि - बलराजसिंह पि. हरविन्द्रसिंह 3.733 है.चरणजीत कौर पत्नी रामसिंह दर्शनसिंह गुरदाससिंह पुत्र रामसिंह ब.हि.ब. 3.733 है. मुख्त्यार कौर पत्नी जोरासिंह 0.308 है. कौम जटसिख राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। राहिन- बदस्तूर

निर्णय खुले न्यायलयत में आज दिनाक 10 जुलाई 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(यशपाल आहुजा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर